UPJL010046612025

Presented on : 12-08-2025
Registered on : 12-08-2025
Decided on : 14-07-2026
Duration : 0 years, 11 months, 2 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Complaint Cases/200053/2025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ए०सी०/एस०टी० एक्ट), जालौन स्थान उरई।

उपस्थितः सुरेश कुमार गुप्ता (एच०जे०एस०)

परिवाद संख्या–53/2025

1. कृष्ण गोपाल उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र श्री राधाकृष्ण दोहरे, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, थाना गोहन, जिला जालौन प्रार्थी। .....परिवादी।

बनाम

1. संजय गुप्ता उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र, हरीशंकर, निवासी ग्राम नवादा, थाना गोहन, जिला जालौन
2. नीलकमल उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र, सुरेश, निवासी ग्राम अजीतापुर, थाना गोहन, जिला जालौन
3. दो व्यक्ति अज्ञात (सूरत शिनाख्त)

.....विपक्षीगण।

दिनांक–14.07.2026

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पक्षकारों की बहस तलबी विगत तिथि को सुनी जा चुकी है आज आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2025 को समय लगभग सुबह 06:00 बजे प्रार्थी के गाँव के दिनेश कुमार तिवारी मुझे बुलाने आये और कहा कि मेरे साथ ईंटों चलो मेरे प्लॉट पर संजय गुप्ता और नीलकमल निर्माण कर रहे हैं। जब हम दोनों घ ाटनास्थल पर पहुंचे तो संजय गुप्ता व नीलकमल छत से नीचे आये और कहने लगे कि आप वीडियों क्यों बना रहे हो, वीडियो दिनेश बना रहे थे। विवादित जगह पर मजदूर कार्य कर रहे थे। इसके बाद संजय गुप्ता व नीलकमल ने हमसे कहा चमरा वाले मादरचोद तेरी इतनी हिम्मत इनके साथ आया। प्रार्थी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। इसके बाद हम लोगों से मारपीट करने लगे। दो अज्ञात भी मारपीट करने लगे। संजय गुप्ता ने मेरे हाथों और सिर में डण्डा मार दिया, मैं गिर गया। मेरे जेब में मजदूरी के 500/– रूपये पडे थे। वह भी संजय गुप्ता ने जबरन निकाल लिये। मारपीट से प्रार्थी की चोटें आयी है, जिसका चिकित्सीय परीक्षण प्रार्थी ने जिला चिकित्सालय उरई में कराया। उक्त घटना की शिकायत प्रार्थी ने थाना गोहन में की, लेकिन प्रार्थी का मुकदमा नहीं लिखा गया। अत : विपक्षीगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की गयी है।

परिवादी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में शपथपत्र तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, मेडिकल प्रपत्र एंव जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति इत्यादि प्रस्तुत की गई है तथा मौखिक साक्ष्य में धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के तहत परिवादी कृष्ण गोपाल ने स्वयं का बयान तथा धारा 225 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत पी0डब्लू01 दिनेश तिवारी व पी0डब्लू02 प्रमोद कुमार को परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी भी मौखिक साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.07.15 17:25:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विपक्षीगण संजय गुप्ता आदि की ओर से आपत्ति दाखिल करते हुए मुख्यतः कथन किया गया है कि उपरोक्त परिवाद मनगढन्त एवं असत्य आधारो पर प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त परिवाद का परिवादी कृष्ण गोपाल गवाह पी0डब्लू01 दिनेश कुमार तिवारी के खेतो में सहभागीदार/सजियार है, और दिनेश कुमार के सिविल एवं आपराधिक प्रकृत्ति के मुकदमे विपक्षीगण से चल रहे है। जिसमे विपक्षीगण संजय गुप्ता से दिनेश कुमार तिवारी का जमीनी विवाद चल रहा है और मुकदमा सं०–290/2024 सिविल जज सी०डी० उरई एवं मुकदमा सं0–92/2024 सिविल जज जू०डी० जालौन के न्यायालय में लंबित हैं तथा विपक्षी नील कमल द्वारा मां नारायणी यूनिवर्सल एजुकेशन स्कूल ईटो मे संजय गुप्ता कि जगह मे संचालित किया जा रहा है और नील कमल द्वारा मुकदमा अपराध सं० 77/2025 धारा 310 (2) बी.एन.एस. विरूद्ध दिनेश तिवारी, महेश तिवारी, गौरव मिश्रा, आशुतोष तिवारी आदि पंजीकृत कराया गया है। इन्हीं मामलो में समझौता करने के लिए दबाब बनाने के लिए उपरोक्त परिवाद, परिवादी द्वारा गवाह पी0डब्लू01 दिनेश कुमारी तिवारी के कहने पर विपक्षीगण के विरूद्ध दायर किया गया है। परिवादी व उसके साक्षियों की साक्ष्य में आपस में घोर विरोधाभाश है और सभी गवाहो द्वारा भिन्न–भिन्न कहानी बता करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है और न्यायालय से सिविल मामलो के विवाद की असली बात छिपाई गई है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद में कथन किया गया है कि संजय गुप्ता व नील कमल ने परिवादी से कहा कि चमरा वाले मादरचोद तेरी इतनी हिम्मत इनके साथ आया। इसके बाद हम लोगो से मारपीट भी करने लगे दो अज्ञात भी मारपीट करने लगे संजय गुप्ता ने मेरे हाथो और सिर में डंडा मार दिया मै गिर गया अन्य लोग नील कमल के साथ दिनेश को मारते रहे नील कमल ने मुझे लातो से मारा। कहने लगे आज तो बच गये भविष्य मे जान से मार देगें। मेरे जेब में मजदूरी के पांच सौ रूपये पडे थे वह भी संजय गुप्ता ने जबरन निकाल लिये। मौके पर मेरे गांव के हरिओम प्रमोद पहुंच गये जिन्होंने घ ाटना को देखा। मारपीट से प्रार्थी को चोटे आयी जिसका चिकित्सीय परीक्षण प्रार्थी ने जिलाचिकित्सालय उरई मे कराया। जबकि परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में पूर्णरूप से भिन्नता है और परिवादी के बयानो मे कहा गया है मैं दूर खडा था दिनेश कुमार को संजय गुप्ता नील कमल लाठी डंडे से मारने लगे मैं खडा होकर दूर से देख रहा था। मैं बचाने नही गया। बाद में वे लोग मुझसे चमरावाले कहकर मेरी खोपडी पर डंडा मार दिया। मैं वहां काम करता था। इसलिए जानते थे मैं चक्कर खाकर गिर गया उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे बाद मे पता चला कि मेरे गांव के हरिओम आकर उठाकर थाने ले गये थाने में प्रार्थना पत्र दिया कार्यवाही नही कि फिर मैं एस०पी० को प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई नही होने पर उसी दिन मेडिकल जिलाआस्पताल में कराया। मेडिकल का कोई पैसा नही लगा। मेरे साथ दिनेश तिवारी व प्रमोद थे। आज भी दिनेश तिवारी आये है। बयानो एवं परिवाद की कहानी से स्वयं ही स्पष्ट होता है कि उपरोक्त परिवाद असत्य आधारो पर लाया गया है जिससे विपक्षीगण पर सिविल मामलो मे दबाव बनाया जा सके, और विपक्षीगणो को समझौतो के लिए मजबूर किया जा सके। परिवादी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत की है वह विरोधाभाषी है। उपरोक्त आधारों पर परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। समर्थन में विपक्षीगण की ओर से सूची 22ख से सी0डी0 23ख, चार अदद फोटो 24ख, मूलवाद संख्या 290/2024 संजय कुमार गुप्ता बनाम गौरव मिश्रा आदि के वाद पत्र की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति 25ख/1 ता 25ख/9, मूलवाद संख्या 92/2024 संजय कुमार गुप्ता बनाम गौरव मिश्रा आदि के वाद पत्र की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति 25ख/10 ता 25ख/15, मु0अ0सं0 77/2025 सरकार बनाम महेश तिवारी की एफ0आई0आर0 की छाया प्रति 25ख/16 लगायत 25ख/19 प्रस्तुत की गयी है।

परिवादी कृष्ण गोपाल द्वारा धारा 223 बी0एन0एस0एस0 में परिवाद कथानक का समर्थन करते हुए मुख्यतः कथन किया गया है कि दिनांक 12.06.2025 को सुबह 6 बजे मोटर साईकिल से दिनेश तिवारी के साथ उनका प्लाट देखने ईंटों गया था। मैं दूर खड़ा था दिनेश तिवारी वीडियो बना रहे थे। संजय गुप्ता व नील कमल दिनेश तिवारी को लाठी डण्डे से मारने लगे और परिवादी को भी चमरा वाले कहते हुए उसकी खोपड़ी पर डण्डा मार दिया, जिससे वह चक्कर खाकर गिर गया उसके बाद वह बेहोश हो गया। उसे बाद में पता चला कि उसे गांव के हरिओम उठाकर थाने ले गये थे, सुनवाई न होने पर उसी दिन अपना मेडिकल जिला अस्पताल में कराया था। साक्षी पी0डब्लू01 दिनेश तिवारी ने अपनी साक्ष्य में परिवादी के परिवाद कथानक एवं उसकी साक्ष्य का समर्थन करते हुए मुख्यतः कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.2025 को समय 6 बजे सुबह परिवादी कृष्ण गोपाल के साथ प्लाट पर गया था, संजय गुप्ता व नील कमल उसके प्लाट पर निर्माण कर रहे थे, उसका वीडियो बनाया तो दोनों लोगों ने वीडियो बनाने से मना किया और कृष्ण गोपाल को चमरा

वाले की गालियां दीं तथा मुझे कहा कि भोसडी के वीडियो बनाते हो, मुझे लात घूसों से मारा। संजय ने डण्डे से कृष्ण गोपाल को मारा। कृष्ण गोपाल को प्रमोद व हरिओम उठाकर थाने व अस्पताल ले गये थे। साक्षी पी0डब्लू02 प्रमोद कुमार ने अपने बयान कथन किया है कि दिनांक 12.06.2025 को समय 6 बजे सुबह वह दवाई लेने पृथ्वीपुरा जा रहा था गांव ईटों में रोड के किनारे संजय व कृष्ण गोपाल के बीच लड़ाई होते देखा था। संजय गुप्ता डण्डे से कृष्ण गोपाल को मार रहे थे। कृष्ण गोपाल का सिर फट गया था, खून निकल रहा था। वह कृष्ण गोपाल को अपनी मोटर साईकिल से चौकी पर ले गया था। इस प्रकार परिवादी व उसके साक्षियों ने अपनी अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि परिवादी कृष्ण गोपाल को विपक्षीगण ने गंदी गंदी गालियां दीं तथा जाति सूचक चमरा वाले की गाली देते हुए उसकी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। परिवादी की ओर से इंजरी रिपोर्ट 10क व 11क प्रस्तुत की गयी है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी कृष्ण गोपाल की चोटों का परीक्षण दिनांक 12.06.2025 को समय 1:30पी0एम0 पर जिला चिकित्सालय उरई में हुआ है, जिसमें परिवादी के शरीर पर 5 चोटें पायी गयी हैं, जिसमें से चोट संख्या 01 खोपड़ी के मध्य भाग पर हेमसेटोमा व स्वेलिंग पायी गयी है। जहां तक विपक्षीगण का यह तर्क कि उक्त वाद के गवाह दिनेश तिवारी से उनके सिविल व फौजदारी वाद लम्बित हैं, इसी कारण दिनेश तिवारी ने रंजिशन फंसाया है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रंजिश दिनेश तिवारी के साथ है, परिवादी से कोई रंजिश होना नहीं बताया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रंजिश एक दोधारी तलवार होती है, जिसके लिए किसी को झूंठा फंसाया भी जा सकता है और घटना भी कारित की जा सकती है। इस प्रकार विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है।

निर्णयज विधि **Chotelal Mali @ Girdhari Mali & Ors. Vs State of U.P. & Ors. 2010 (1)** के प्रस्तर 7 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 204 द0प्र0सं0 की आदेशिका जारी करने के लिये साक्ष्य का विश्लेषणात्मक प्रयोग अनुमन्य नहीं है, केवल न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले को देखना है और प्रथम दृष्टया मामले का तात्पर्य यह है कि प्रथम दृष्टया वह तथ्य साबित हो रहा, जिसे खन्डित न किया जाये तो उससे दोषसिद्वि परिणित होगी। निर्णयज विधि **Gambhir Singh R Dekre Vs. Phalgun bhai Chiman Bhai Patel AIR 2013 S.C. 1590** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवाद पर संज्ञान लेने के स्तर पर अभियोगों की सत्यता में नहीं जाया जा सकता है।

उपरोक्त निर्णयज विधियों के माध्यम से प्रतिपादित विधिक सिद्वान्त के समग्र विवेचन के उपरांत यह विधिक स्थिति उत्पन्न होती है कि यद्यपि अभियुक्त को तलब किये जाने के स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला सिद्व होना मात्र ही पर्याप्त माना गया है, उक्त प्रथम दृष्टया मामला के निर्धारण के निमित्त सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग की अपेक्षा भी की गयी है। इस प्रकार परिवादी के परिवाद पत्र व परिवादी व उसके द्वारा परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य व दाखिल प्रपत्रो से विपक्षीगण संजय गुप्ता व नीलकमल द्वारा दिनांक 12.06.2025 को समय करीब 6बजे सुबह परिवादी को गंदी गंदी मां बहिन की गालियां देने, लात घूसों व डण्डे से मारपीट किये जाने तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है। अतः इस स्तर पर परिवाद कथानक व समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण संजय गुप्ता व नीलकमल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–115(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 व 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अपराध गठित होना पाया जाता है। तदनुसार विपक्षीगण तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण संजय गुप्ता व नील कमल को धारा– 115(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में विचारण हेतु जरिये समन आहूत किया जाता है। परिवादी लिस्ट गवाहन सहित पैरवी अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनॉक 07.08.2026 को पेश हों।

दिनांक–14.07.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)

जालौन स्थान उरई।